न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 39/2023

राकेश वगैरह बनाम नागर वगैरह

उभय पक्षगण

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.11.2024

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पहाडसर तहसील बिसाऊ में भूमि हाल खाता संख्या 66 के वर्तमान खसरा नम्बर 192 तादादी 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 4.71 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7. 34 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण इस भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि में से खसरा नम्बर 95, 96, 97 भूमि की नप्ती व सीमाज्ञान हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसाउ के यहां पेश किया था जिस पर नियमानुसार तहसीलदार महोदय बिसाउ ने उक्त भूमि की नप्ती व सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी को आदेशित किया गया था जिस पर दिनांक 30/05/2023 को पटवारी मौके पर आया व उक्त भूमि की नप्ती की जाकर सीमाज्ञान कराया गया व नजरी नक्शा तैयार किया गया।उक्त भूमि की पटवारी द्वारा नप्ती की जाकर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा पटवारी ने अपनी रिर्पोट सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा दी है उक्त भूमि के बाबत बार बार नप्ती नहीं करनी पड़े व सीमाज्ञान नहीं कराना पड़े इसलिए पटवारी द्वारा दिनांक 30/05/2023 को बताये गये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गड्डी करवाया जाना न्यायोचित है ताकि काश्तकार सही ढंग से अपनी भूमि को काश्त कर सके व अनावश्यक झगडों से बच सकें व बार बार काश्तकार को नपती नहीं करवानी पड़े इसलिए उक्त भूमि की पत्थर गड्डी किया जाना न्यायोचित है।यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 उक्त भूमि के सीमावर्ती खातेदार काश्तकार है इसलिए इन्हे आवश्यक पक्षकार मानकर प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया गया है।अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नियमानुसार प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज भूमि की नपती व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गड्डी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि का न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 08 बाद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिल विधिवत पूरण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या सख्या 01 लगायत 08 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। तमाम साक्ष्य सबूतों एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी के प्राथर्ना पत्र दौराने बहस पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अनुरोध पर ग्राम पहाड़सर पटवार हल्का भीखनसर में ख.न. 95,96,97 मुताबिक सीमाज्ञान दिनाक 30.05.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी फसलकाश्त होने के पश्चात के आदेश दिये जाते है। विपरित कब्जे काश्त होने की स्थिती में यह आदेश स्वतः शुन्य होगा। तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा